

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठा0क्र0 २ /दो-16-2/01(S.W.) जबलपुर, दिनांक- 01 जून 2024  
प्रतिलिपि आदेशानुसार

श्री आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर  
की ओर वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, जबलपुर/सिहोरा/पाटन का  
आपराधिक कार्य विभाजन के आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

वास्ते प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर

10

13



**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)**

**( कार्य-विभाजन आदेश )**

कमांक /

/सी.जे.एम./ 2024

जबलपुर, दिनांक 29.05.2024

मैं, आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर, जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.23 को निरस्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(2).15(2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) के अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार नवीन **दांडिक कार्य-विभाजन** आदेश जारी करता हूँ, जो कि दिनांक **29.05.2024** से अन्यथा आदेश तक प्रभावशील रहेगा :-

क्र	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
1	श्री आलोक प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर	ओमती, सिविल लाईन, लार्डगंज, बरगी,	<p>1- आरक्षी केन्द्रों से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण (परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन पत्र, महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन पत्र, एवं परिवाद प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण छोड़कर) एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी प्रकरण।</p> <p>2- आबकारी विभाग, श्रम विभाग, नापतौल विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>3- विशेष पुलिस स्थापना, सी.आई.डी. जबलपुर शाखा द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>4- म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>5- म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्रस्तुत जबलपुर, तहसील के समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>6- सिनेमाटोग्राफी एक्ट, ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट 1945 के अन्तर्गत जबलपुर जिले में प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>7- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक प्रकरण।</p> <p>8- जबलपुर जिले में चलित न्यायालय लगाना।</p> <p>9- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन कमांक सी/419 जबलपुर दिनांक 19/1/18 द्वारा अधिसूचित जिलों से उदभूत स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स यूनिट द्वारा प्रस्तुत मामले।</p> <p>10- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन क. ए/1816/II(STF)/III-6-5-14 दिनांक 14.04.22 द्वारा अधिसूचित जिलों से उदभूत STF (Special Task Force) भोपाल द्वारा प्रस्तुत मामले।</p> <p>11- कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर के ज्ञापन कं. 5512/दो-8-2/96 (एस.डब्ल्यू) जबलपुर दिनांक-14.09.23 के अनुसार समस्त आरक्षी केन्द्रों के लीचिंग एवं मीडि हिसा से संबंधित प्रकरण।</p> <p>12- जिला जबलपुर के समस्त संक्षिप्त विचारण के ऐसे मामले जिसमें ओवर लोडिंग 10 टन से अधिक हो।</p> <p>13- वह समस्त न्यायिक कार्य जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के हैं, जिनका इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है।</p>

2	श्रीमती मंजू सिंह, प्रिसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड जबलपुर।		1- किशोर न्याय बोर्ड जबलपुर से संबंधित प्रकरण व कार्य।
3	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
4	श्रीमती ज्योत्सना आर्या जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	माढ़ोताल	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन कमांक सी/419 जबलपुर दिनांक 19/1/18 द्वारा अधिसूचित जिलों से उदभूत स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स यूनिट द्वारा प्रस्तुत मामलों को छोड़कर वन-विभाग जबलपुर तथा जिला मुख्यालय में वन विधि से उदभूत समस्त प्रकरण। 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
5	श्री अम्बुज श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	खमरिया, रांझी	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण खात्मा प्रकरण तथा आरक्षी केन्द्र रांझी के धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्यालय जबलपुर क्षेत्राधिकार के ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
6	श्रीमती नमिता बौरासी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	लार्डगंज, कैंट, पनागर, बेलबाग, बरगी, विजय नगर, भेडाघाट, घमापुर एवं संजीवनी नगर	1- उक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधिनियम एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
7	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गोरखपुर	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक ID/1767/III-6-2/2018 Jabipur dated 11-04-2023 के अनुसार एम. पी., और एम.एल.ए. से संबंधित मामले। 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

8	श्री समीर कुमार मिश्र जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	जी.आर.पी. आर.पी.एफ., विशेष रेल्वे अधिनियम	<p>1- इंडियन रेल्वे प्रापर्टी (अन.ला.पुल पजेशन एक्ट) के अन्तर्गत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के नोटिफिकेशन कं. A/1886(Raotway)III-6-3/57-1X dated 13-04-2023 अनुसार जबलपुर जिले से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद समस्त प्रकार के किन्तु द.प्र.सं. की धारा 235 के प्रकरणों को छोड़कर, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन के प्रकरण।</p> <p>3- विशेष रेल्वे अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाले दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</p> <p>4- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>5- जिला मुख्यालय जबलपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों (तहसील सिहोरा एवं पाटन को छोड़कर) से उदभूत खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं खनिज विभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रकरण।</p> <p>6- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
9	श्रीमती रूचि गोलस सगर जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	रांझी, ग्वारीघाट गोहलपुर, गढा, मदनमहल, बरेला, कोतवाली, गोरखपुर, तिलवारा	<p>1- आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधिनियम एवं द पेयमेंट एंड सेंटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
10	श्रीमती शीला मैना यादव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
11	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	आरक्षी केन्द्र महिला थाना, गढा, रांझी, हनुमानताल, कैंट, पनागर, अधारताल घमापुर, माढोताल, खमरिया, तिलवारा को छोड़कर शेष आरक्षी केन्द्र के महिलाओं से संबंधित प्रकरण	<p>1- आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो।</p> <p>4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
12	श्रीमती अंकिता शाही, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गोहलपुर	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- व्यापम से संबंधित मामले।</p> <p>4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>

13	श्रीमती अंशु चौहान मुप्ता, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	महिला थाना, गढ़ा रांझी, हनुमानताल, कॉट, पनागर, अधारताल, घमापुर माढोताल, खमरिया, तिलवारा के महिलाओं से संबंधित प्रकरण	1- आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
14	श्री मृणाल मोहित, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	गढ़ा	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं परिवाद प्रकरणों को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- आयकर, कस्टम एवं सेंट्रल एवं कंपनी अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण। 3- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
15	श्री देवरथ सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	हनुमानताल काईम ब्रांच, सायबर काईम	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
16	सुश्री राखी साहू, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	बेलबाग	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
17	सुश्री संध्या गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	बरेला	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
18	डॉ. श्री गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	कोतवाली	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

19	श्रीमती मृणालिनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	सिविल लाइन, कुंडम, मादोताल खमरिया, अधरताल, ओमती, हनुमानताल, एवं गोराबाजार	<p>1- आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधिनियम एवं "द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम" एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण</p> <p>2- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की नोटिफिकेशन कमांक सी/2466/III-10-40/78 जबलपुर दिनांक- 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित जिले की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं एफ.आर</p> <p>3- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक सी/2462/तीन-6-4/57 भाग- 40 जबलपुर दिनांक- 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित जिले की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 03 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई. मामलो के लिए विशेष रूप से) द्वारा किया गया हो, के द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।</p> <p>4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
20	श्री वेद प्रकाश सगर, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	केंट, पनागर	<p>1- आरक्षी केन्द्र से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- म.प्र.नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत जबलपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार से उदभूत होने एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत पनागर बरेला नगर पालिका क्षेत्र से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>4- केन्टोनमेंट अधिनियम की धारा 281 के अन्तर्गत समस्त दांडिक प्रकरण एवं केन्टोनमेंट सीमा जबलपुर की वसूली कार्यवाही।</p> <p>5- जबलपुर नगर निगम एवं जबलपुर तहसील क्षेत्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>6- मुख्यालय जबलपुर के थानों से उदभूत होने वाले पंचायत अधिनियम से संबंधित दांडिक एवं परिवाद प्रकरण।</p> <p>7- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
21	श्री राकेश भिडे, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	महिला थाना जबलपुर(महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को छोड़कर)	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
22	श्री मनमोहन सिंह कौरव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	ग्वारीघाट	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>





30	सुश्री पलक श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- जिला मुख्यालय जबलपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>2- आरक्षी केन्द्र ओमती से उदभूत से उदभूत (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
31	श्री अंशुल जैन, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	मदनमहल	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
32	सुश्री श्रेया शर्मा, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
33	सुश्री किरण वर्मा, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- आरक्षी केन्द्र रांझी से उदभूत (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
34	श्री स्वास्तिक सावंत, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	कुण्डम	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
35	श्रीमती नेहा तोमर सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- आरक्षी केन्द्र बरगी से उदभूत (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण।</p> <p>2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
36	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>

37	श्री भूपेन्द्र सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	घमापुर	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)द.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन से उदभूत <b>(महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण।</p> <p>4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण</p>
38	श्रीमती प्राची सिंह पटेल, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
39	श्रीमती रिशा अहमद कुरेशी, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	यातायात शहर	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)द.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
40	श्रीमती मुनमुन सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	यातायात गढ़ा	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)द.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
41	सुश्री अभिसारिका माहुँने, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर	यातायात घमापुर	<p>1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दंडिक प्रकरण, <b>(महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)</b> परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)द.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
42	सुश्री मधुलिका खत्री, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण</p>
43	सुश्री स्वाति भार्गव, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
44	श्री प्रियम कुमार सक्सेना, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		<p>1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>

45	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
46	श्री कमलेश वरवर्णियाँ, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
47	सुश्री चंदा पवार, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
48	श्री भरत परमार, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
49	श्री मंगल परमार, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
50	सुश्री निर्मला पटेल, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
51	सुश्री वैशाली चौहान, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
52	सुश्री निशा कुशवाहा, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
53	श्री वीर सिंह धाकड़, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
54	श्री कृष्णकांत सोनी, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
55	सुश्री अंजली राय, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
56	सुश्री श्रद्धा पटेल, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
57	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी, जे.एम.एस.सी. जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

**तहसील न्यायालय- पाटन**

क्र	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
1	श्री दशरथ सिंह मिडे जे.एम.एफ.सी. पाटन, जिला- जबलपुर	पाटन, बेलखेड़ा	1- आरक्षी केन्द्र पाटन, बेलखेड़ा द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) द.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)द.प्र.सं. के आवेदन, धारा 138 निगो. इ.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र.आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण।  2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।

			<p>3- पाटन तहसील क्षेत्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण, पाटन तहसील के आवश्यक वस्तु अधिनियम से उदभूत प्रकरण।</p> <p>4- तहसील पाटन के वन विधि से उदभूत एवं खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद/प्रकरण।</p> <p>5- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर तहसील पाटन पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6- तहसील पाटन से उदभूत ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>7- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
2	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे जे.एम.एफ.सी. पाटन, जिला- जबलपुर	चरगवां	<p>1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण।</p> <p>2- तहसील न्यायालय पाटन के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिसमें पीड़ित महिला हों), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>3- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>4- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
3	सुश्री उजाला झा जे.एम.एफ.सी. पाटन, जिला- जबलपुर		1- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
4	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी जे.एम.एफ.सी. पाटन, जिला- जबलपुर	शहपुरा, कटंगी	<p>1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>

### तहसील न्यायालय-सिहोरा

क्र	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
1	श्रीमती रेशमा खातून, जे.एम.एफ.सी. सिहोरा, जिला- जबलपुर	गोसलपुर, सिहोरा	1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण।

			<p>2- सिहोरा तहसील क्षेत्र से जो कटनी राजस्व में नहीं आते हों, के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत होने वाले समस्त दंडिक प्रकरण।</p> <p>3- तहसील सिहोरा के वन विधि से उदभूत एवं खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद/प्रकरण।</p> <p>4- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>5- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर तहसील सिहोरा पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण</p> <p>6- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
2	श्रीमती खालिदा तनवीर खान, जे.एम.एफ.सी. सिहोरा, जिला- जबलपुर		<p>1- तहसील न्यायालय सिहोरा के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिसमें पीडित महिला हो), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन।</p> <p>2- दंड. प्रक्रिया. संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3- तहसील सिहोरा के समस्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>4- आबकारी वृत्त सिहोरा द्वारा प्रस्तुत समस्त दंडिक प्रकरण।</p> <p>5- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
3-	श्रीमती तनुश्री शिवहरे जे.एम.एफ.सी. सिहोरा, जिला- जबलपुर	मझगवां,	<p>1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दंडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दंडिक प्रकरण।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
4-	सुश्री उर्वशी यादव जे.एम.एफ.सी. सिहोरा, जिला- जबलपुर	मझौली	<p>1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दंडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दंडिक प्रकरण।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>

5-	सुश्री दीपशिखा दांगी, जे.एम.एफ.सी. सिहोरा, जिला- जबलपुर	खितौला	<p>1- उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण।</p> <p>2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।</p> <p>3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
----	--	--------	--

### टीप एवं आवश्यक निर्देश :-

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा-436 एवं 437 दं.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन एवं धारा-451, 457 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक करता है, तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त हैं, वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।
3. समस्त जे.एम.एफ.सी. यदि धारा -167(2) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।
4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालयों से संबंधित है, उनमें माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उदभूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ हैं, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी।
5. ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनका स्थानांतरण हो गया है, के द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट/समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण या उनके द्वारा पारित निर्णय/आदेश के संबंध में प्रस्तुत आवेदन/प्रकरण उन्हीं मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष आवेदन से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब गिरफ्तारी वारंट, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले या निर्णय/आदेश पारित करने वाले पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ होकर कार्यरत है, तब उससे संबंधित कार्यवाही उन्हीं पदस्थ कार्यरत मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी अन्यथा ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है।
6. रिक्त न्यायालय के अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त कराये जाने संबंधी कार्यवाही, जिसमें थाना स्पष्ट नहीं हो रहा हो, के संबंध में जबलपुर न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री पलक श्रीवास्तव, तहसील न्यायालय सिहोरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री दीपशिखा दांगी, एवं तहसील न्यायालय पाटन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी द्वारा कार्यवाही संपादित की जायेगी।
7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग-पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।
8. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधाननुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय जबलपुर/पाटन के द्वारा ही लिया जायेगा।

9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिए लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित ना हो।
10. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग-पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन-पत्रक से संबंधित आरक्षी केंद्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश ना हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।
11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई-मेल, फ़ैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।
12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन-पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।
13. ऐसे परिवाद जो महिला के विरुद्ध कारित किए गए अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय में पेश किये गये है, उन परिवादों को संज्ञान के स्तर पर इस आधार पर वापिस नहीं लौटाया जावेगा कि उस परिवाद में महिला के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है और अन्य अपराध का विचारण परिवाद में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से संबंधित न्यायालय करेगा। ऐसे परिवाद में आदेश उन शेष धाराओं में न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा जिस न्यायालय में परिवाद उल्लेखित धाराओं के आधार पर पेश किया गया था। ( उक्त निर्देश अन्य विशेष एवं सामान्य न्यायालय पर भी लागू होगा।)
14. इस कार्य विभाजन-पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पडेगा, जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित है एवं जिनका निराकरण करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है।
15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग-पत्रों व परिवाद-पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होंगे।
16. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर-ट्रायल अथवा 05 वर्ष अथवा उससे अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश ना मिलने या अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये समझे जाएंगे।
17. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी पृष्ठांकन क्रमांक डी-2495 जबलपुर दिनांक 10/4/2019 अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध आरोपियों के संबंध में साक्ष्य/आरोप पत्र विरचना/आरोपी कथन से संबंधित कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर वीडियो कान्फ़ेसिंग के माध्यम से करावें।
19. दं.प्र.सं. की धारा 176(1-क) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जाँच उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसको इस हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
20. धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मृतक बंदियों की न्यायिक जाँच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार जबलपुर से अथवा संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत् कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर द्वारा पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।
21. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कान्फ़ेसिंग, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन एवं धारा 176 दं.प्र.सं. के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क्र. 01 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

22. तहसील सिहोरा एवं तहसील पाटन में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जाँच संपादित करेंगे।
23. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्ही तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।
24. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने मामले/प्रकरण अनुसूची कं. 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची कं. 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले संपूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।
25. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1967 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन का निराकरण करेंगे एवं श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल जे.एम.एफ.सी. आरक्षी केन्द्र ओमती, बरगी एवं सुश्री श्रेया शर्मा जे.एम.एफ.सी. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, लार्डगंज से संबंधित आवेदन का निराकरण करेगी।
26. अनुसूची कं.-1, अनुसूची कं.- 2 एवं अनुसूची कं. 03 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग होंगे।
27. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये। यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 29.05.2024 से प्रभावशील माना जायेगा।

अनुमोदित

PDJ

पृष्ठांकन क्रमांक /

/2024

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर (प्र.)

जबलपुर, दिनांक 29.05.2024

**प्रतिलिपि:-**

1. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला जबलपुर।
3. माननीय ..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर/पाटन सिहोरा, जिला जबलपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर/पाटन/सिहोरा, जिला जबलपुर।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा, जिला जबलपुर।
6. कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8. जिला आबकारी, जिला जबलपुर।
9. अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, जिला जबलपुर।
10. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, /पाटन/सिहोरा/जबलपुर, जिला जबलपुर।
11. आयुक्त, नगर पालिका निगम, जबलपुर
12. नियंत्रक नापतौल विभाग जबलपुर
13. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर
14. न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय जबलपुर
15. जेल अधीक्षक, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर, जिला जबलपुर।
16. फाइलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जिला जबलपुर।
17. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
18. प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, /मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर।

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर



**// अनुसूची कं. 01 //**

1. जिला मुख्यालय जबलपुर, सिहोरा एवं पाटन हेतु अनुसूची कं. 01 के कालम नं. 02 में उल्लेखित सी.जे.एम. /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में अथवा अत्यावश्यक ड्यूटी में व्यस्त होने पर सूची अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रमारी अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य को निष्पादित करेगे इसके पश्चात् भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कि कालम नं 03, 04, 05 एवं 06 के सभी न्यायिक अधिकारी अवकाश पर रहते हैं, तो कालम नंबर- 06 के पीठासीन अधिकारी का कार्य प्रभार देखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादित किया जावेगा, यह कम आगे भी जारी रहेगा।

2. अत्यावश्यक प्रकृति के मामले मे ऐसे समस्त मामले भी शामिल होंगे, जिनमें संक्षिप्त प्रकिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों मे वह मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हो।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रमारी	द्वितीय प्रमारी	तृतीय प्रमारी	चतुर्थ प्रमारी
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती मंजू सिंह,	प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य		
2	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री देवरथ सिंह	श्रीमती रुचि गोलस सगर
3	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री समीर कुमार मिश्र	सुश्री संध्या गर्ग	सुश्री पलक श्रीवास्तव	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा
4	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्री वेद प्रकाश सगर	श्री जितेन्द्र रावत	श्रीमती अंकिता शाही	सुश्री संध्या गर्ग
5	श्रीमती नमिता बोराली	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्री राहुल छत्री
6	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्या	श्री समीर कुमार मिश्र	श्री मनमोहन सिंह कौरव	सुश्री पलक श्रीवास्तव
7	श्री समीर कुमार मिश्र	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	सुश्री पलक श्रीवास्तव	सुश्री संध्या गर्ग	श्रीमती ज्योत्सना आर्या
8	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती नमिता बोराली	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज	सुश्री राखी साहू
9	श्रीमती शीला मैना यादव	श्री अंशुल जैन	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
10	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता	श्री गौरव गर्ग	सुश्री किरण वर्मा	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे
11	श्रीमती अंकिता शाही,	श्री जितेन्द्र रावत	श्री वेद प्रकाश सगर	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्रीमती नमिता बोराली
12	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता,	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्री गौरव गर्ग	सुश्री किरण वर्मा
13	श्री मृणाल मोहित,	श्री फरहान मसूद कुरेशी	श्री राकेश गर्ग	श्रीमती रिशा अहमद कुरेशी	श्रीमती मुनमुन सिंह
14	श्री देवरथ सिंह,	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती दीपा पोल	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री स्वास्तिक सावंत
15	सुश्री राखी साहू,	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज	श्री फरहान मसूद कुरेशी	श्री मनमोहन सिंह कौरव
16	सुश्री संध्या गर्ग,	सुश्री पलक श्रीवास्तव	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्या	श्री समीर कुमार मिश्र
17	डॉ. श्री गौरव गर्ग,	सुश्री राखी साहू	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता	सुश्री अभिसारिका माहुँने

18	श्रीमती मृणालिनी सिंह,	श्रीमती नमिता बौरासी	श्रीमती रुचि गोलस सगर	सुश्री राखी साहू	श्री मृणाल मोहित
19	श्री वेद प्रकाश सगर,	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्रीमती अंकिता शाही	श्री जितेन्द्र रावत	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता
20	श्री राकेश मिडे,	श्री राहुल छत्री	श्री फरहान मसूद कुरैशी	श्री मृणाल मोहित	श्री जितेन्द्र रावत
21	श्री मनमोहन सिंह कौरव	सुश्री किरण वर्मा	श्री राहुल छत्री	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज
22	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	श्रीमती मुनमुन सिंह	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्री फरहान मसूद कुरैशी
23	श्रीमती दीपा पोल,	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री स्वास्तिक सावंत	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री देवरथ सिंह
24	श्री जितेन्द्र रावत,	श्रीमती अंकिता शाही	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	श्री वेद प्रकाश सगर	श्री अम्बुज श्रीवास्तव
25	श्रीमती हर्षिता जैन,	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती शीला मैना यादव	श्री अंशुल जैन
26	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री स्वास्तिक सावंत	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री देवरथ सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह
27	श्री फरहान मसूद कुरैशी,	श्री मृणाल मोहित	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	सुश्री मुनमुन सिंह	श्री राकेश मिडे
28	श्री राहुल छत्री	श्री मनमोहन सिंह कौरव	सुश्री किरण वर्मा	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती मृणालिनी सिंह
29	सुश्री पलक श्रीवास्तव,	सुश्री संध्या गर्ग	श्रीमती ज्योत्सना आर्या	श्री समीर कुमार मिश्र	श्रीमती अंकिता शाही
30	श्री अंशुल जैन,	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती शीला मैना यादव
31	सुश्री श्रेया शर्मा,	श्री देवरथ सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती दीपा पोल	श्री किशन देव सिंह पटेल
32	सुश्री किरण वर्मा,	श्री गौरव गर्ग	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता	श्री राहुल छत्री	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर
33	श्री स्वास्तिक सावंत,	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री देवरथ सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती दीपा पोल
34	श्रीमती नेहा तोमर सिंह,	श्रीमती शीला मैना यादव	श्री अंशुल जैन	श्रीमती हर्षिता जैन	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल
35	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती शीला मैना यादव	श्री अंशुल जैन	श्रीमती हर्षिता जैन
36	श्री भूपेन्द्र सिंह,	श्रीमती दीपा पोल	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री स्वास्तिक सावंत	सुश्री श्रेया शर्मा
37	श्रीमती प्राची सिंह पटेल,	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	श्रीमती मुनमुन सिंह	सुश्री अभिसारिका माहुँने
38	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी,	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज	श्री मृणाल मोहित	श्री राकेश मिडे	श्री गौरव गर्ग
39	श्रीमती मुनमुन सिंह,	श्री राकेश मिडे	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी
40	सुश्री अभिसारिका माहुँने,	श्रीमती मुनमुन सिंह	श्रीमती प्राची चौधरी पटेल	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	श्री वेद प्रकाश सगर
41	सुश्री मधुलिका खत्री,	श्री प्रियम सक्सेना	श्री कमलेश वरवणियाँ	सुश्री चंद्रा पर्वार	सुश्री श्रेया शर्मा

42	सुश्री स्वाति भार्गव,	सुश्री रितिका विजय श्रीवास्तव	सुश्री निर्मला पटेल	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री संध्या गर्ग
43	श्री प्रियम कुमार सक्सेना,	श्री कमलेश वरवनियों	सुश्री चंद्रा पर्वोर	श्री भरत परमार	सुश्री श्रेया शर्मा
44	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव,	सुश्री निर्मला पटेल	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री स्वाति भार्गव	सुश्री संध्या गर्ग
45	श्री कमलेश वरवनियों,	सुश्री चंद्रा पर्वोर	श्री भरत परमार	श्री मंगल परमार	श्रीमती दीपा पोल
46	सुश्री चंद्रा पवार,	श्री भरत परमार	श्री मंगल परमार	श्री वीर सिंह धाकड़	श्रीमती दीपा पोल
47	श्री भरत परमार,	श्री मंगल परमार	श्री वीर सिंह धाकड़	श्री कृष्णकांत सोनी	श्री स्वास्तिक सावंत
48	श्री मंगल परमार,	श्री वीर सिंह धाकड़	श्री कृष्णकांत सोनी	सुश्री मधुलिका खत्री	श्री स्वास्तिक सावंत
49	सुश्री निर्मला पटेल,	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री स्वाति भार्गव	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	सुश्री पलक श्रीवास्तव
50	सुश्री वैशाली चौहान,	सुश्री स्वाति भार्गव.	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	सुश्री निर्मला पटेल	सुश्री पलक श्रीवास्तव
51	सुश्री निशा कुशवाहा,	सुश्री अंजली राय	सुश्री श्रद्धा पटेल	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	श्री राहुल छत्री
52	श्री वीर सिंह धाकड़,	श्री कृष्णकांत सोनी	सुश्री मधुलिका खत्री	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	श्री किशन देव सिंह पटेल
53	श्री कृष्णकांत सोनी,	सुश्री मधुलिका खत्री	श्री प्रियम कुमार सक्सेना	श्री कमलेश वरवनियों	श्री किशन देव सिंह पटेल
54	सुश्री अंजली राय,	सुश्री श्रद्धा पटेल	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	सुश्री निशा कुशवाहा	श्री राहुल छत्री
55	सुश्री श्रद्धा पटेल,	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी	सुश्री निशा कुशवाहा	सुश्री अंजली राय	श्री मनमोहन कौरव
56	सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी,	सुश्री निशा कुशवाहा	सुश्री अंजली राय	सुश्री श्रद्धा पटेल	श्री मनमोहन कौरव

### तहसील न्यायालय पाटन

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	सुश्री उजाला झा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री राकेश मिडे
2	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	सुश्री उजाला झा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्री जितेन्द्र रावत
3	सुश्री उजाला झा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	श्रीमती मीनक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल
4	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	सुश्री उजाला झा	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी

## तहसील न्यायालय सिहोरा

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनु श्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी
2	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनु श्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून
3	श्रीमती तनु श्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती खालिदा तनवीर खान
4	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनु श्री शिवहरे
5	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनु श्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव

### नोट-

1. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने अथवा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश यदि सदस्यगण भी अवकाश पर रहते हैं अथवा सदस्यों का पद रिक्त होता है तो ऐसी दशा में क्रमशः **श्रीमती हर्षिता जैन जे.एम.एफ.सी.जबलपुर / श्रीमती नमिता बौरासी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर एवं श्रीमती ज्योत्सना आर्य जे.एम.एफ.सी. जबलपुर** द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

**// अनुसूची कं. 02 //**

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु कॉलम कं. 02 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है-

कं.	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	ओमती, सिविल लाइन, लार्डगंज, नया अपराध शाखा जबलपुर सायबर काइम, काइम ब्रांच	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री स्वास्तिक सावंत	श्री अंशुल जैन
2	भेडाघाट, रांझी.ए.टी.एस/ एस. टी.एफ; सी.बी.आई; सी.आई. डी.; आर्थिक अपराध एवं व्यापम से प्रस्तुत मामले	श्री स्वास्तिक सावंत	श्री अंशुल जैन	श्री भूपेन्द्र सिंह
3	जी.आर.पी., आर.पी.एफ., केन्ट, विशेष रेल अधिनियम, विजय नगर, माढोताल, खमरिया, मदन महल	श्री अंशुल जैन	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री स्वास्तिक सावंत
4	आधारताल, बरगी, पनागर, कुंडम, तिलवारा, गढा, हनुमानताल	श्री राहुल छत्री	श्री फरहान मसूद कुरैशी	श्री किशन देव सिंह पटेल
5	एस.सी./एस.टी., कोतवाली, बेलबाग, संजीवनी नगर, ग्वारीघाट	श्री फरहान मसूद कुरैशी	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री राहुल छत्री
6	गोरखपुर, गोहलपुर, बरेला, गोरबाजार, घमापुर, महिला थाना	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री राहुल छत्री	श्री फरहान मसूद कुरैशी
7	पाटन, बेलखेडा,	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	श्रीमती उजाला झा	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी
8	चरगवाँ	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	श्रीमती उजाला झा
9	कटंगी शहपुरा	श्रीमती उजाला झा	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे
11	सिहोरा, गोसलपुर	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव
12	खितौला	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती खालिदा तनवीर खान
13	मझगवां	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून
14	मझौली	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून	सुश्री दीपशिखा दांगी

**नोट :-**

- उपरोक्तानुसार धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो क्रमशः अगले प्रभारी अधिकारी कथन लेंगे।
- किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के कथन को छोड़कर) श्री भूपेन्द्र सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा लिये जाएंगे।
- उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम क्रमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री जितेन्द्र रावत जे.एम.एफ.सी./ श्री मनमोहन सिंह कौरव जे.एम.एफ.सी./ श्री राकेश मिडे जे.एम.एफ.सी./ श्री गौरव गर्ग जे.एम.एफ.सी./ श्री देवरथ सिंह जे.एम.एफ.सी./ श्री मृणाल मोहित जे.एम.एफ.सी. क्रमानुसार कथन लेंगे।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों के धारा 164 दं.प्र.सं. अंकित किये जाने हेतु कॉलम कं. 02 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है।

क	निम्नलिखित आरक्षी केन्द्र से उदभूत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों में	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	कैंट, पनागर, तिलवारा, खमरिया ए.टी.एस. /एस.टी.एफ, सी. बी. आई, सी. आई. डी, आर्थिक अपराध जबलपुर एवं व्यापम	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्रीमती मुनमुन सिंह	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी
2	विजय नगर, महिला थाना, सिविल लाइन,	श्रीमती मुनमुन सिंह	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	श्रीमती प्राची सिंह पटेल
3	कुंडम, ओमती, कोतवाली, लार्डगंज, एस. सी. / एस. टी.,	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल
4	रांझी, हनुमानताल, माढोताल, बेलबाग, गढा,जी आर पी, आर पी एफ, विशेष रेल्वे अधिनियम	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
5	नया अपराध शाखा, मदन महल, बरगी, गोहलपुर, एवं साइबर काइम, काइम ब्रांच	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	सुश्री किरण वर्मा
6	बरेला, भेडाघाट, संजीवनी नगर, गोरखपुर	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	सुश्री किरण वर्मा	सुश्री अभिसारिका माहुँने
7	अधारताल, घमापुर, ग्वारीघाट गोराबाजार	सुश्री किरण वर्मा	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्रीमती मुनमुन सिंह
6	पाटन, बेलखेडा, चरगवां	श्रीमती अमृता मिश्रा तिवारी	सुश्री उजाला झा	सुश्री श्रेया शर्मा
7	शहपुरा कटंगी	सुश्री उजाला झा	सुश्री पलक श्रीवास्तव	श्रीमती हर्षिता जैन
8	सिहोरा, गोसलपुर,	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी
9	मझगवां	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून
10	मझौली	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती तनुश्री शिवहरे
11	खितौला,	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव

### नोट :-

- उपरोक्तानुसार धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र के उन्हीं की न्यायालय में विचारण योग्य मामले (सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलो को छोड़कर) कथन हेतु पेश हो तो कमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।
- किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन **श्रीमती दीपा पोल जे.एम.एफ.सी.** जबलपुर द्वारा लिये जाएंगे।
- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम क्रमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर **सुश्री श्रेया शर्मा जे.एम.एफ.सी./सुश्री पलक श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी./ श्रीमती हर्षिता जैन जे.एम.एफ.सी./ श्रीमती दीपा पोल जे.एम.एफ.सी./श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज जे.एम.एफ.सी./सुश्री संध्या गर्ग जे.एम.एफ.सी.** क्रमानुसार कथन लेंगे।


**// अनुसूची कं. 03 //**

स्वापक औषधि और मनः प्रमावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52"क" की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा सामग्री के नमूने लिये जाने/प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरक्षी केन्द्र का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

क	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	कैंट, पनागर,	सुश्री अभिसारिका माहुँने	श्रीमती मुनमुन सिंह	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी
2	गोरखपुर महिला थाना,	श्रीमती मुनमुन सिंह	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	श्रीमती प्राची सिंह पटेल
3	अधारताल, गोराबाजार	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	श्री भूपेन्द्र सिंह
4	बेलबाग, जी आर पी, आर पी एफ, विशेष रेल्वे अधिनियम	श्रीमती प्राची सिंह पटेल	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल
5	माढोताल, मदन महल, नया अपराध शाखा	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
6	बरेला, हनुमानताल,	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्री स्वास्तिक सावंत
7	घमापुर, ग्वारीघाट	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्री स्वास्तिक सावंत	सुश्री किरण वर्मा
8	खमरिया कोतवाली, मेडाघाट,	श्री स्वास्तिक सावंत	सुश्री किरण वर्मा	सुश्री श्रेया शर्मा
9	रांझी, बरगी, संजीवनी नगर,	सुश्री किरण वर्मा	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री अंशुल जैन
10	तिलवारा, सिविल लाइन,	सुश्री श्रेया शर्मा	श्री अंशुल जैन	सुश्री पलक श्रीवास्तव
11	कुंडम, ओमती,	श्री अंशुल जैन	सुश्री पलक श्रीवास्तव	श्री राहुल क्षत्री
12	गढा, गोहलपुर,	सुश्री पलक श्रीवास्तव	श्री राहुल क्षत्री	श्री फरहान अहमद कुरैशी
13	लार्डगंज, विजय नगर,	श्री राहुल क्षत्री	श्री फरहान अहमद कुरैशी	श्री किशन देव सिंह पटेल
10	पाटन, बेलखेडा,	श्रीमती अमृता मिश्रा.	श्रीमती. रीतिका शर्मा खरे	सुश्री उजाला झा
11	चरगवां	सुश्री उजाला झा	श्रीमती अमृता मिश्रा खरे	श्री दशरथ सिंह मिडे
12	शहपुरा,	श्री दशरथ सिंह मिडे	सुश्री उजाला झा	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे
13	कटंगी	श्रीमती रीतिका शर्मा खरे	श्री दशरथ सिंह मिडे	सुश्री उजाला झा
14	सिहोरा,	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव
15	गोसलपुर	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी
16	मझगवां	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून
17	मझौली,	सुश्री दीपशिखा दांगी	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती खालिदा तनवीर खान
18	खितौला,	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती खालिदा तनवीर खान	श्रीमती तनुश्री शिवहरे

**नोट :-**

1. उपरोक्तानुसार अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे। उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र के या उन्हीं की न्यायालय में विचारण योग्य मामले के संबंध में आवेदन पेश किया जाये तो कमशः अगले प्रभारी आवेदन का निराकरण करेंगे।
2. किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उस आरक्षी केन्द्र के द्वारा उक्त अधिनियम के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा किये जाएंगे।
3. उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम क्रमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर श्रीमती हर्षिता जैन जे.एम.एफ.सी./ श्री जितेन्द्र रावत जे.एम.एफ.सी./ श्रीमती दीपा पोल जे.एम.एफ.सी./ श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज जे.एम.एफ.सी./ श्री मनमोहन सिंह कौरव जे.एम.एफ.सी./ श्री राकेश भिडे जे.एम.एफ.सी. क्रमानुसार उक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।

  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

अनुमोदित



(आलोक अवस्थी)  
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जबलपुर।